

निर्णय  
20.07.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
हरमन सिंह आदि बनाम गुरमेलसिंह आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 416 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
18.07.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।	
24.7.2025	वकील गुरमेलसिंह ने आवना-पत्र रिज्वाल पेश करके यह पत्रावली को पेशी में लिखा गया कुलाल अदिठेन उपस्थित गुरमेलसिंह को 6ने अदिठेन वकील शरण कुमार उपस्थित आकर वकील का पेश किया जिसे शामिल करके किया गया। फावली वाले स्टेट एक्जटाईवा 20.7.2025 को पेश हो।	<p>गुरमेलसिंह</p> <p>शरण कुमार</p> <p>हरमनसिंह</p> <p>सुरवजीव</p> <p>प्रीतपाल</p>
20.7.2025	कुलाल अदिठेन उपस्थित स्टेट एक्जटाईवा द्वारा पत्रावली पेश की गई। फावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिज्वाल व वकील गुरमेलसिंह की सहमति के आधार पर वाद की डिस्टी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल करके किया जाये। पत्रावली नामक से कम की जाकर वाद तत्कीन तकमील जायदा बाखिल दफतर हो।	<p>गुरमेलसिंह</p> <p>शरण कुमार</p>

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

